प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै– 600 018
Lekha Pariksha Bhavan, 361, ANNA SALAI, CHENNAI – 600 018

No.DGA(Central)/Legal/2026-27/111 Date: 08-10-2026

शाखा आदेश/BRANCH ORDER

As per the provisions under Chapter 4 of Section 23(1) of the Rights of Persons with Disablities Act, 2016, the Senior Audit Officer holding the charge of Administration shall function as Grievance Redressal Officer for the staff of Chennai Main Office. As per Section 23 (2) of the said Act, the Grievance Redressal Officer shall investigate the grievances falling under the category of Persons with Disabilities and take up the matter with the establishment, for corrective action in consonance with the Act.

(Vide orders of the PDA(Central))

Digitally signed by R Shyam
Date: 08-10-2026 15:50:07

Director/Admin

Copy to
1. Secy to PDA(Central)
2. SAO/Admin
3. AAO/Admin
4. SAO/EDP Cell (for disclosure in office website)

सत्यमेव जयते

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), CHENNAI
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 018
Lekha Pariksha Bhavan, 361, ANNA SALAI, CHENNAI – 600 018

सं .मनिलेप(के)/ कानूनी/2026-27/111 दिनांक:08.10.2026

शाखा आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 4 की धारा 23(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रशासन का प्रभार संभालने वाले वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,चेन्नई मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार, शिकायत निवारण अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली शिकायतों की जांच करेंगे और अधिनियम के अनुरूप सुधारात्मक कार्रवाई के लिए स्थापना के साथ इस मामले को उठाएंगे।

(महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) के आदेशानुसार)

मूल प्रति में ई-हस्ताक्षरित
आर.श्याम
निदेशक/प्रशासन

प्रति

अंग्रेजी रूपांतरणानुसार